राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1541

दिनांक : 14.12.2022

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. कुम्भाराम पुत्र रूपाराम वगैरा 04, जाति जाट, निवासी कुम्पलिया, तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

1. उतमाराम पुत्र लिछमणाराम वगैरा 38, जाति जाट, निवासी कुम्पलिया, तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 373 / 2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – पूनियों की बेरी, पटवार हल्का – परेऊ, तहसील – गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 924 / 352 रकबा 18.6398 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 /– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

14/12/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलेक्टर, बायतु, जिला – बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1542-1546

दिनांक : 14.12.2022

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का परेऊ को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री कुम्भाराम पुत्र रूपाराम वगैरा 04,
4. विप्रार्थी श्री उतमाराम पुत्र लिछमणाराम वगैरा 38,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / गिड़ा / नागाणा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2022.12.30 11:57:29 IST
Reason: SelfAttested

14/12/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलेक्टर, बायतु, जिला – बाड़मेर